प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 24.05.2025

- **अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2025 धारा 64(1)/137(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 22.05.2025 को वादी द्वारा थाना रसूलाबाद पर तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर भगा ले गया है, के सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0210/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्त सलमान पुत्र ताहिर हुसैन निवासी हिन्दुपुर थाना अरौल जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 18 वर्ष जनपद कानपुर देहात को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए **आज दिनांक 24.05.2025 को समय 11.50 बजे बिषधन तिराहा थाना क्षेत्र रसूलाबाद से** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र ताहिर हुसैन निवासी हिन्दुपुर थाना अरौल जनपद कानपुर नगर उम्र लगभग 18 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मिलन सिरोही, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात
2. का0 77 वीरप्पन सिंह, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात